सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 08, मंगलवार, शाके 1943-मार्च 29, 2022 *Chaitra 08, Tuesday , Saka 1943- March 29, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 22, 2022

संख्या एफ 3 (3) इगानवि/विशा/2022 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चौ कुम्भाराम आर्य लिफट नहर की साहवा वितरिका के कि. मी. 30 से 47.200 तक निर्माण कार्य हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत , नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना lqfuf'pr djus gsrq vf/k'kk"kh vfHk;Urk] 10 oka [k.M bxkaui rkjkuxj dks vf/kd`r किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी,इंगानप बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण

संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न - सूची

आज्ञा से,

जितेन्द्र दीक्षित,
उप शासन सचिव,
इन्दिरा गांधी नहर विभाग,
जयपुर।

फार्म-2

देखें नियम -5

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

क्रम सं.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता ,10वॉ खण्ड, इगानप तारानगर
क.	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	खण्ड के अधीन चौ.कु.रा.आ.लि.नहर की साहवा वितरिका का निर्माण आरडी किमी. 30.00 से 47.200 किमी. तक मुख्यमंत्री बजट घोषणा अनुसार निर्माण किया जाना हैं। अतः जिला चुरू तहसील तारानगर की ग्राम पंचायत नेठवा पण्डरेउ ताल बांय झोथड़ा की कुल 339 बीघा भूमि अधिग्रहण की जानी प्रस्तावित है।
ख.	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें।	1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई
ग.	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अधीन लागू नहीं हैं ।
घ.	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन)योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगे	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार ।
ड.	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी ।	हां
च.	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी ।	कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता 10वां खण्ड इगानप तारानगर में उपलब्ध ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।